

11.11.23 को किया है।

13/04/23

पत्रावली पत्र हुई। वारी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित। वारी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की जहल खुली गई। वारी द्वारा पत्रावली पत्र व वारी के पत्र पत्र में संलग्न दस्तावेजों का प्राथमिक अद्ययन अद्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर रेकॉर्ड उरुली किया जाना न्याय संगत हुलीता होता है। अतः यह राजस्व वद अन्तर्गत धारा 88 राजस्व आशकारी अधिनियम, 1955 एवं धारणा पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. अ- राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होके के स्वीकार किया जाता है। निर्णय पुस्तक से लिया जाके शाकिल किया है। तद्विषयक रेकॉर्ड को पालना हेतु तद्विषय जारी है।

पत्रावली पत्रावली सुधार होकर दर्ज नम्बर के वम की पाक वारियल पत्रावली है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदा

श्रीमान्,
रावताराम पुत्र
धनाराम कोण्ड
रमेश कुमार पुत्र
धनाराम किया जाता
है तो स्टेट को कोर्ड
पुत्रावली है।
17.4.23
MTPR-
Reader